फा.सं.01/69/12/24/2011/ओएण्डएम/आरटीआई /735

भारत सरकार
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
विदेश व्यापार महानिदेशालय
(आरटीआई अनुभाग)

*****

उद्योग भवन, नई दिल्ली
दिनांक: 19 जून, 2014
20

कार्यालय ज्ञापन

विषयः सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत प्राप्त आवेदनों/अपीलों का समय पर निपटान सुनिश्चित करना।

अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि आरटीआई अनुभाग हमेशा यह सुनिश्चित करने का प्रयास करता है कि आरटीआई आवेदन केवल डीजीएफटी के संबंधित केन्द्रीय जन सूचना अधिकारियों को ही अग्रेषित किए जाएं क्योंकि आवेदक द्वारा माँगी गई सूचना संभवतः उनके पास होती है। तथापि, यह देखा गया है कि कभी-कभी केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी (सीपीआईओ) आरटीआई आवेदन आरटीआई अनुभाग को किसी न किसी बहाने से वापस कर देते हैं जिसके फलस्वरूप आरटीआई आवेदन के निपटान में अनावश्यक विलम्ब होता है।

2. उपर्युक्त को देखते हुए अनुरोध है कि जब आवेदन सीपीआईओ को अग्रेषित किया जाता है, तो सीपीआईओ द्वारा उत्तर सीधा आवेदक को दिया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त, यदि सीपीआईओ से माँगी गई सूचना अथवा इसका कोई भाग डीजीएफटी के किसी अन्य सीपीआईओ अथवा किसी अन्य लोक प्राधिकरी से संबंधित है, तो सीपीआईओ द्वारा इस आवेदन को आरटीआई अधिनियम, 2005 की धारा 6(3) के तहत उस सीपीआईओ अथवा अन्य लोक प्राधिकारी को अग्रेषित/अंतरित किया जाएगा तथा इसकी सूचना आटीआई अनुभाग को दी जाएगी।

3. आरटीआई आवेदनों के समय पर और सुचारू रूप से निपटान हेतु सभी संबंधित अधिकारियों से सहयोग अपेक्षित है।

4. यह अपर महानिदेशक, विदेश व्यापार के अनुमोदन से जारी किया जा रहा है।

(बलजीत सिंह)
उप महानिदेशक, विदेश व्यापार

सेवा में

सभी केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी, डीजीएफटी, उद्योग भवन, नई दिल्ली।

प्रतिः

ईडीआई अनुभाग, विदेश व्यापार महानिदेशालय, उद्योग भवन, नई दिल्ली को इस अनुरोध के साथ कि वे इस का.ज्ञा. को डीजीएफटी की वेबसाइट पर सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत सीपीआईओ और अपीलीय प्राधिकारी संबंधी लिंक 'आरटीआई अधिनियम'- >सामान्य अनुदेश के अंतर्गत अपलोड करें।

No. 01/69/12/24/2011/O&M/RTI 1735

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF COMMERCE & INDUSTRY
DIRECTORATE GENERAL OF FOREIGN TRADE
(RTI Section)

*****

Udyog Bhavan, New Delhi.
Dated: 19th June, 2014.

20

OFFICE MEMORANDUM

Subject: Ensuring timely disposal of applications/appeals received under RTI Act, 2005.

The undersigned is directed to say that the RTI Section always tries to ensure that an RTI application is forwarded only to the concerned CPIOs of DGFT who are likely to possess the information sought by the applicant. However, it has been noted that sometimes CPIOs return back the RTI application to RTI section on one pretext or the other leading to unnecessary delay in disposal of the RTI application.

2. In view of the above, it is requested that when an application is forwarded to a CPIO, the CPIO should give a reply directly to the applicant. Further, if the CPIO thinks that the information sought or a part of it concerns some other CPIO(s) in DGFT or some other Public Authority the CPIO will forward/transfer such application to such CPIO or such other Public Authority under Section 6 (3) of the RTI Act 2005 under intimation to RTI Section.

3. Co-operation of all concerned is solicited for timely and smooth disposal of the RTI applications.

4. This issues with the approval of Addl. DGFT.

19/6/2014
(Baljit Singh)
Deputy Director General of Foreign Trade

To

All CPIOs, DGFT, Udyog Bhavan, New Delhi

Copy to

EDI Section, DGFT, Udhyog Bhavan, New Delhi with a request to upload this O.M. on DGFT website under link 'RTI Act' ->General instructions regarding CPIO and Appellate Authority under Right to Information Act.

FTDO(KR)